

वायुयान अधिनियम, 1934

(1934 का अधिनियम संख्यांक 22)

[19 अगस्त, 1934]

वायुयान के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात
और निर्यात के नियंत्रण के लिए अधिक अच्छे
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

वायुयान के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात और निर्यात के नियंत्रण के लिए अधिक अच्छे उपबंध करना समीचीन है, अतः एतद्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम ^{1***} वायुयान अधिनियम, 1934 कहा जा सकता है।

²[(2) इसका विस्तार ^{3 4***} सम्पूर्ण भारत पर है और यह—

(क) भारत के नागरिकों को जहां कहीं वे हों; ^{5***}

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान को और उस पर स्थित व्यक्तियों को जहां कहीं वे हों,

लागू होगा;]

⁶[(ग) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत वायुयान को किन्तु जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हों और उस पर स्थित व्यक्तियों को; और

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है किन्तु उसके कारबार का मुख्य स्थान या स्थायी निवास भारत में है, प्रचालित किसी वायुयान को।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो,—

(1) “वायुयान” से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से ⁷[पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया से भिन्न] वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलम्ब प्राप्त कर सकती है, और इसके अन्तर्गत बेलून, चाहे स्थिर हो या अस्थिर वायु-पोत, पतंग, ग्लाइडर और उड़यन मशीनें आती हैं;

⁸[(1क) “वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो” से धारा 4ग के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो अभिप्रेत है;]

(2) “विमानक्षेत्र” से जल या थल का निश्चित या सीमित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान के लिए आशयित है और इसके अन्तर्गत उस पर और उससे जुड़े हुए सभी भवन, शेड, यान, प्रस्तम्भ और अन्य संरचनाएं आती हैं;

⁷[(2क) किसी विमानक्षेत्र के संबंध में, “विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु” से वह अभिहित बिन्दु अभिप्रेत है जो वायुयान के प्रस्थान या उतरने के लिए आरक्षित विमानक्षेत्र के भाग में ज्यामितीय केन्द्र पर या उसके समीप क्षेत्रिज समतल में स्थापित किया जाए;]

⁸[(2ख) “सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो” से धारा 4ख के अधीन गठित सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(2ग) “सिविल विमानन महानिदेशालय” से धारा 4क के अधीन गठित सिविल विमानन महानिदेशालय अभिप्रेत है;]

(3) “आयात” से ⁹[भारत] में लाना अभिप्रेत है; और

(4) “निर्यात” से ⁹[भारत] से बाहर ले जाना अभिप्रेत है।

¹ 1960 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा “भारतीय” शब्द का लोप किया गया।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा दादरा और नागर हवेली पर (1-7-1965 से); 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर; और 1965 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप पर, विस्तारित और प्रवृत्त किया गया।

⁴ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “हैदराबाद राज्य के सिवाय” शब्दों को निरसित किया गया।

⁵ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया।

⁶ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा (20-4-1972 से) अन्तःस्थापित।

⁸ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

⁹ 1948 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा “प्रान्तों” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. केन्द्रीय सरकार की कुछ वायुयानों को छूट देने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को [इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से] छूट दे सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि वे ऐसे वायुयानों या व्यक्तियों को ऐसे उपान्तरों के अध्यक्षीन लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

²[4. 1944 के अभिसमय को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—³[धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार,] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अन्तरराष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, अभिसमय को (जिसमें, अन्तरराष्ट्रीय मानकों और सिफारिश की गई पद्धतियों से संबंधित, उसका कोई उपाबन्ध भी है) क्रियान्वित करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।]

⁴[4क. सिविल विमानन महानिदेशालय—(1) केन्द्रीय सरकार, सिविल विमानन महानिदेशालय के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सिविल विमानन महानिदेशक के रूप में पदाभिहित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) सिविल विमानन महानिदेशालय इस अधिनियम या तद्द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सिविल विमानन महानिदेशालय का प्रशासन सिविल विमानन महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि सिविल विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

4ख. सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो—(1) केन्द्रीय सरकार, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदाभिहित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस अधिनियम या तद्द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विषयों की बाबत विनियामक और अन्वेक्षा कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रशासन सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

4ग. वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो—(1) केन्द्रीय सरकार, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो इस अधिनियम या तद्द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट वायुयान दुर्घटनाओं और घटनाओं के अन्वेषण संबंधी विषयों की बाबत कृत्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का प्रशासन वायुयान दुर्घटना ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

4घ. केन्द्रीय सरकार का अधीक्षण—सिविल विमानन महानिदेशालय, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा जिसे क्रमशः धारा 4क की उपधारा (2), धारा 4ख और धारा 4ग के अधीन आने वाले किसी मामले पर, यदि लोक हित में ऐसा विचार किया जाना आवश्यक और समीचीन है तो इन संगठनों के प्रत्येक संगठन को निदेश जारी करने की शक्ति होगी।]

5. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) ⁵[धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार,] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात या निर्यात का विनियमन करने वाले ⁶[तथा वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियम ⁷ बना सकेगी।]

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम से या के अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करेंगे;

¹ 1939 के अधिनियम सं० 37 की धारा 3 द्वारा “इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम या किसी ऐसे उपबन्धों से” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा (20-4-1972 से) पूर्ववर्ती धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁷ भारत का राजपत्र, 1937, भाग 1, पृष्ठ 633-719 में प्रकाशित भारतीय वायुयान नियम, 1937, देखिए।

1[(कक) वायु परिवहन सेवा की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और तदनुसार के सिवाय ऐसी सेवाओं का विनियमन और वायुयान का ऐसी सेवाओं में प्रयोग का प्रतिषेध;]

2[(कख) सिविल विमानन और वायु परिवहन सेवाओं का आर्थिक विनियमन, जिसके अन्तर्गत 3[वायु परिवहन सेवाओं के प्रचालकों के टैरिफ का [भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट टैरिफ से भिन्न] अनुमोदन, अननुमोदन या पुनरीक्षण है] वे अधिकारी या प्राधिकारी जो इस निमित्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और वे बातें जिन्हें वे ध्यान में रखेंगे; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपीलें और ऐसे टैरिफ से संबंधित अन्य सभी विषय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “टैरिफ” के अन्तर्गत यात्रियों या माल के वायु परिवहन के लिए किराया, रेट मूल्यांकन प्रभार और अन्य प्रभार, ऐसे किराए, रेट, मूल्यांकन प्रभारों और अन्य प्रभारों तथा रेटों को प्रभावित करने वाले नियम, विनियम, पद्धतियां या सेवाएं और यात्री या स्थौरा विक्रय अभिकर्ताओं को संदेय कमीशन के निबन्धन और शर्तें हैं;]

4[(कग) जानकारी, जो वायु परिवहन सेवा की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति के आवेदक या धारक, ऐसे प्राधिकारियों को जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, देंगे;]

4[(ख) विमानक्षेत्रों का अनुज्ञापन, निरीक्षण और विनियमन, वे शर्तें जिनके अधीन विमानक्षेत्रों का अनुरक्षण किया जाएगा और अननुज्ञप्त विमानक्षेत्रों के उपयोग का प्रतिषेध या विनियमन;

(खक) वह फीस जो उन विमानक्षेत्रों से प्रभारित की जा सकेगी जिनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) लागू नहीं होता है या लागू नहीं किया जाता है;]

(ग) वायुयान के विनिर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण का और ऐसे स्थानों का जहां वायुयानों का विनिर्माण या मरम्मत की जा रही है या जहां वे रखे गए हैं, निरीक्षण और नियंत्रण;

(घ) वायुयान को रजिस्टर करना और चिह्नित करना;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन वायुयान उड़ाए जा सकेंगे या यात्री, डाक या माल ले जा सकेंगे अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकेंगे और वायुयान में रखे जाने वाले प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्तियां या दस्तावेज;

(च) इस अधिनियम के और तद्धीन नियमों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए वायुयान का निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण के लिए दी जाने वाली सुविधाएं;

(छ) वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित व्यक्तियों का अनुज्ञापन;

5[(छक) वायु याततयात नियंत्रण में लगे व्यक्तियों का अनुज्ञापन;

(छख) संचार, नौपरिवहन का प्रमाणन, निरीक्षण और विनियमन तथा वायु यातायात प्रबन्ध प्रसुविधाओं की निगरानी;

(छग) विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा के उपाय;]

6[(छघ) विमान चालन संबंधी सेवा का विनियमन, अर्थात् वैमानिक सूचना संबंधी सेवा, वैमानिक संबंधी चार्टिंग और मानचित्रकारी संबंधी सेवा, वैमानिक मौसम विज्ञान संबंधी सेवा, तलाशी और बचाव संबंधी सेवा, विमान चालन संबंधी सेवा के लिए प्रक्रिया और खंड (छख) में निर्दिष्ट से भिन्न वायुयान प्रचालन और विमान चालन से संबंधित सेवा संबंधी कोई अन्य विषय ;]

(ज) वे वायुमार्ग जिनसे और वे शर्तें जिनके अधीन वायुयान 7[भारत] में प्रवेश या 2[भारत] से प्रस्थान कर सकेंगे अथवा भारत के ऊपर उड़ सकेंगे और वे स्थान जहां वायुयान उतरेंगे;

(झ) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर, या तो पूर्णतया या विनिर्दिष्ट समयों पर या विनिर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अध्यक्षीन वायुयान की उड़ान का प्रतिषेध;

1 1944 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

2 1983 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

3 2008 के अधिनियम सं० 27 की धारा 54 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

4 1983 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा खंड (कख) को खंड (कग) के रूप में पुनःअक्षरोंकित किया गया।

5 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

6 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

7 1948 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा “प्रान्तों” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ज) वायुमार्ग के बीकनों, विमानक्षेत्र के प्रकाश और विमानक्षेत्रों के निकट या उन पर या वायुमार्गों के निकट, या उन पर प्रकाश का प्रदाय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण;

¹[(अज) विमानक्षेत्रों के निकट की प्राइवेट सम्पत्ति पर या वायुमार्गों के निकट में या उन पर ऐसी सम्पत्ति के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा प्रकाश का प्रतिष्ठापन और उनका अनुरक्षण, ऐसे प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय और ऐसे प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति पर प्रवेश का अधिकार भी है;]

(ट) वायुयान द्वारा या को संसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत और संकेत भेजने में प्रयुक्त उपकरण;

(ठ) वायुयान में किसी विनिर्दिष्ट वस्तु या पदार्थ के वहन का प्रतिषेध और विनियमन;

(ड) जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले उपाय और ले जाए जाने वाले उपकरण;

(ढ) लागू बुक जारी करना और रखना;

(ण) अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के जारी करने या उसके नवीकरण की रीति और शर्तें, उससे सम्बन्धित दी जानी वाली परीक्षाएं, और परीक्षण, ऐसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या लागू बुक का प्ररूप, अभिरक्षा, पेश करना, पृष्ठांकन, रद्दकरण, निलम्बन या अभ्यर्पण;

(त) इस अधिनियम के अधीन किए गए, जारी किए गए या नवीकरण किए गए किसी निरीक्षण, परीक्षा, परीक्षण, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस;

(थ) वायुयान के, या वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण के लिए नियोजित व्यक्तियों की अर्हताओं के सम्बन्ध में ²[भारत] से अन्यत्र जारी किए गए प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता देना; ^{2***}

³[(थक)] विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु से दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर पशुओं का वध करने और खाल उतारने का तथा कूड़ा, गन्दगी और अन्य प्रदूषित एवं हानिकर वस्तुएं डालने का प्रतिषेध; तथा]

⁵[(थख) सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य ;

(थग) सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विषयों की बाबत विनियामक और अन्वेक्षा कृत्य ; और”।]

(द) इस उपधारा में निर्दिष्ट मामलों के समनुषंगी या आनुषंगिक कोई मामला ।

6* * * * *

⁷**5क. निदेश जारी करने की शक्ति**—(1) सिविल विमानन का महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों से संगत, ⁸[धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (झ), (ञ), (ट), (थ), (थक), और (थख)] में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत, ऐसी किसी दशा में जब सिविल विमानन के महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, किसी विमानक्षेत्र का उपयोग करने वाले या वायुयान प्रचालनों, वायु यातायात नियंत्रण, विमानक्षेत्र का अनुरक्षण और प्रचालन, संचार, नौपरिवहन, निगरानी और वायु यातायात प्रबंध कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा में लगे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, निदेश जारी कर सकेगा ।]

¹⁰[(1क) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी उस दशा में, जहां सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या सिविल विमानन प्रचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम और तद्द्वारा बनाए गए नियमों से संगत निदेश जारी कर सकेगा, जो धारा 5 की उपधारा

¹ 1939 के अधिनियम सं० 37 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।

² 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा (20-4-1972 से) “और” शब्द का लोप किया गया ।

³ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा (20-4-1972 से) अन्तःस्थापित ।

⁴ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा पुनःसंख्याकित ।

⁵ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।

⁶ 1944 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित उपधारा (3) का 1960 के अधिनियम सं० 44 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।

⁷ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

⁸ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁹ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 5 द्वारा “(छग), (ज), (झ), (ड) और (थथ)” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹⁰ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(2) के खंड (ङ), खंड (च), खंड (छग) और खंड (थग) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित हो सकेंगे और ऐसे निदेश, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जारी किए जा सकेंगे जो विमान क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं या वायुयान के प्रचालनों, वायुयान यातायात नियंत्रण, विमान क्षेत्र के अनुरक्षण और प्रचालन में या सिविल विमानन को अविधिपूर्ण हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किए जाने में नियोजित हैं।

(1ख) किसी व्यक्ति से किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या अन्यथा, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक को, यथास्थिति, ऐसे आदेश को विखंडित या उपांतरित करने के निदेश जारी कर सकेगी।]

(2) उपधारा (1) ¹[उपधारा (1क) या उपधारा (1ख)] के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश का अनुपालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसको या जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है।]

6. केन्द्रीय सरकार की आपात में आदेश देने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक रक्षा और प्रशान्ति के हित में निम्नलिखित आदेशों में से सभी या किसी का जारी किया जाना समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन दी गई सभी या किसी भी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र को या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अध्याधीन जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे, रद्द या निलम्बित कर सकेगी;

(ख) सम्पूर्ण ²[भारत] या उसके किसी भाग पर सभी वायुयानों, किसी वायुयान या किसी वर्ग के वायुयान की उड़ान का या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे, प्रतिषेध कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति में विनियमित कर सकेगी जो आदेश में अन्तर्विष्ट हो;

(ग) किसी विमानक्षेत्र, वायुयान कारखाना, उड्डयन विद्यालय या क्लब या वह स्थान जहां वायुयान या उनका कोई वर्ग या प्रकार विनिर्मित होते हैं, मरम्मत किए जाते हैं या रखे जाते हैं, आत्यंतिक रूप से या सशर्त प्रतिषेध कर सकेगी या विनियमित कर सकेगी;

(घ) यह निदेश दे सकेगी कि कोई वायुयान या वायुयान का वर्ग या कोई विमानक्षेत्र, वायुयान कारखाना, उड्डयन विद्यालय या क्लब, या वह स्थान जहां वायुयान विनिर्मित किए जाते हैं, मरम्मत किए जाते हैं या रखे जाते हैं, उस मशीन, संयंत्र, सामग्री या वस्तुओं सहित जो वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में प्रयुक्त होती हैं या तो तुरन्त या विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे प्राधिकारी को और उस रीति में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, परिदत्त की जाएगी जिससे कि लोक सेवा के लिए सरकार के व्ययनधीन रहे।

³[(1क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में किसी बात से असंगत होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।]

(2) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के कारण कोई प्रत्यक्ष क्षति या हानि होती है तो उसे उतना प्रतिकर दिया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित होगा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन कराने के लिए ऐसे कदम उठाना प्राधिकृत कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(4) जो कोई जानबूझकर उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करेगा, या अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसके उल्लंघन में कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा और वह न्यायालय जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह निदेश दे सकेगा कि वह वायुयान या वस्तु (यदि कोई हो) जिसकी बाबत वह अपराध किया गया है, या ऐसी वस्तु का कोई भाग, सरकार को समपहृत हो जाएगा।

7. केन्द्रीय सरकार की दुर्घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति—(1) ⁴[केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) भारत में या भारत के ऊपर किसी भी वायुयान; या

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के कहीं भी, .

¹ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 5 द्वारा “उपधारा (1क) या उपधारा (1ख)” शब्दों का अंतःस्थापित।

² 1948 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा “प्रान्तों” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1976 के अधिनियम सं० 12 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁴ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

विमानचालन के दौरान या विमानचालन से उद्भूत दुर्घटना या घटना के अन्वेषण का उपबन्ध करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।]

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विहित किया जाए किसी ³[दुर्घटना या घटना] की सूचना दी जाएगी;

(ख) अन्वेषण या ¹[दुर्घटनाओं या घटनाओं] से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनार्थ उपांतरों सहित या रहित लागू कर सकेंगे;

(ग) अन्वेषण के लंबित रहने तक ¹[दुर्घटनाग्रस्त या घटनाग्रस्त] वायुयान तक पहुंचने और हस्तक्षेप करने का प्रतिषेध कर सकेंगे और जहां तक अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो किसी व्यक्ति को यह प्राधिकार दे सकेंगे कि वह ऐसे किसी वायुयान तक पहुंच सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा, उसे हटा सकेगा, उसके परिरक्षण के लिए अध्यक्षता कर सकेगा, या अन्य कार्यवाही कर सकेगा; और

(घ) जब अन्वेषण से यह प्रतीत हो कि किसी अनुज्ञप्ति पर कार्यवाही की जानी चाहिए तब इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त या मान्यताप्राप्त किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के रद्दकरण, निलम्बन, पृष्ठांकन या अभ्यर्षण को प्राधिकृत या अपेक्षित कर सकेंगे और ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति के पेश करने का उपबन्ध कर सकेंगे।

8. वायुयान को निरुद्ध करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी किसी वायुयान को निरुद्ध कर सकेगा यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में—

(क) आशयित उड़ान की प्रकृति को देखते हुए ऐसे वायुयान की उड़ान से उस वायुयान में स्थित व्यक्तियों को या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को या सम्पत्ति को खतरा हो सकता है; या

(ख) ऐसा निरोध, इस अधिनियम या ऐसे वायुयान को लागू होने वाले नियमों के उपबन्धों का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक है, या धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन रोकने के लिए ²[अथवा किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है]।

(2) ³[केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस शक्ति के प्रयोग के समनुषंगी या आनुषंगिक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए नियम⁴ बना सकेगी।

⁵[**8क. केन्द्रीय सरकार की लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियम बनाने की शक्ति—**⁶[केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विमानक्षेत्र पर आने वाले या स्थित होने वाले किसी वायुयान से लोक स्वास्थ्य को किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रवेश या फैलाने से होने वाले संकट को रोकने के लिए और किसी विमान क्षेत्र से प्रस्थान करने वाले किसी वायुयान के माध्यम से संक्रमण या संसर्ग के प्रवहण को रोकने के लिए और विशिष्ट रूप से और इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी वायुयान या विमानक्षेत्र या किसी विनिर्दिष्ट विमान क्षेत्र की बाबत उन विषयों का उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी जिनके लिए भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (त) के उपखण्ड (i) से लेकर (viii) तक के अधीन यानों या पत्तनों के विषय में नियम⁷ बनाए जा सकते हैं।]

⁸[**8ख. लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियां—**(1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत या उसके किसी भाग में कोई ख़ातरनाक महामारी फैली हुई है या फैलने की आशंका है और वायुयान द्वारा लोक स्वास्थ्य को उस रोग के प्रवेश या फैलने से होने वाले संकट को रोकने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध अपर्याप्त हैं तो केन्द्रीय सरकार ऐसे संकट को रोकने के लिए ऐसे अध्यक्षता कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(2) ऐसे किसी मामले में केन्द्रीय सरकार धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वायुयान और उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों या ले जाई जाने वाली वस्तुओं और विमानक्षेत्रों की बाबत, ऐसे अस्थायी नियम बना सकेगी जैसे वह उन परिस्थितियों में आवश्यक समझे।

(3) धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शर्तों के अधीन न होगी, किन्तु ऐसे नियम अधिसूचना की तारीख से तीन मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेंगे।

¹ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 7 द्वारा (20-4-1972 से) अन्तःस्थापित।

³ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ उदाहरण के लिए देखिए भारतीय वायुयान नियम, 1937 का 18 (भारत का राजपत्र 1937, भाग 1, पृष्ठ 640)।

⁵ 1936 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁶ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁷ भारतीय वायुयान (लोक स्वास्थ्य) नियम, 1946 के लिए देखिए भारत का राजपत्र असाधारण, 1946, पृ० 775)।

⁸ 1938 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार विशेष आदेश से उन्हें अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों तक प्रवृत्त रख सकेगी, जो कुल मिलाकर तीस मास से अधिक नहीं होगी।]

¹[8ग. बिना दावा वाली संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुनः परिदान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—²[केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें उस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुनः परिदान सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे जो किसी विमानक्षेत्र पर अथवा किसी विमानक्षेत्र पर किसी वायुयान में उचित अभिरक्षाविहीन पाई जाए। ऐसे किन्हीं नियमों में विशिष्टतः निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(क) ऐसी किसी सम्पत्ति को उसके हकदार व्यक्ति को पुनः परिदान करने से पूर्व, उस सम्पत्ति की बाबत प्रभारों का संदाय; तथा

(ख) जहां ऐसी सम्पत्ति उसके हकदार व्यक्ति को, नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, पुनः परिदत्त न की गई हो, उस दशा में सम्पत्ति का निपटान।]

9. ध्वंस और उद्धारण—(1) ध्वंस और उद्धारण से सम्बन्धित ³[वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के भाग 13 के उपबन्ध] समुद्र या ज्वारीय जल पर या उनके ऊपर के वायुयान को वैसे ही लागू होंगे जैसे पोत को लागू होते हैं, और वायुयान का स्वामी वायुयान द्वारा की गई उद्धारण सेवाओं के लिए युक्तियुक्त इनाम का वैसे ही हकदार होगा जैसे पोत का स्वामी होता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त उपबन्धों के वायुयान को लागू होने में ऐसे उपान्तरण कर सकेगी जैसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

4[9क. भवन निर्माण, वृक्षारोपण आदि के प्रतिषेध या विनियमन की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(i) निदेश दे सकेगी कि विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु से बीस किलोमीटर से अनधिक ऐसे अर्धव्यास के भीतर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भूमि पर किसी भवन या संरचना का निर्माण अथवा परिनिर्माण नहीं किया जाएगा, या वृक्ष रोपण नहीं किया जाएगा तथा यदि ऐसा कोई भवन, संरचना या वृक्ष ऐसी भूमि पर हो तो वह ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी कालावधि के भीतर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने अथवा ऐसे वृक्ष को कटवाने का निदेश भी दे सकेगी;

(ii) निदेश दे सकेगी कि विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु से बीस किलोमीटर से अनधिक अर्धव्यास के भीतर किसी भूमि पर उतनी ऊंचाई से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक ऊंचे किसी भवन या संरचना का निर्माण या परिनिर्माण नहीं किया जाएगा, अथवा ऐसा कोई वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा जिसकी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक ऊंचा उगने की संभाव्यता है या जो साधारणतया ऐसी ऊंचाई से अधिक ऊंचा उगता है, और यदि ऐसी भूमि पर किसी भवन या संरचना या वृक्ष की ऊंचाई विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक हो तो वह ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसी कालावधि के भीतर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी ऊंचाई कम करने का निदेश दे सकेगी ताकि वह विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक न रहे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन अर्धव्यास विनिर्दिष्ट करते समय तथा उक्त खण्ड (ii) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई विनिर्दिष्ट करते समय, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी,—

(क) विमानक्षेत्र में प्रचालित या प्रचालन के लिए आशयित वायुयानों का प्रकार; अथवा

(ख) वायुयानों का प्रचालन शासित करने वाले अन्तरराष्ट्रीय मानक और सिफारिश की गई पद्धतियां।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी को अथवा उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने या ऐसे वृक्ष को कटवाने का अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने का निदेश देने वाली कोई अधिसूचना जारी कर दी गई हो, वहां ऐसे निदेशयुक्त अधिसूचना की एक प्रति भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी पर अथवा उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति पर, यथास्थिति,—

(i) ऐसे स्वामी या व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करके; अथवा

(ii) यदि वह इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त नहीं की जा सकती हो तो, ऐसे स्वामी या व्यक्ति के किसी अधिकारी को अथवा ऐसे स्वामी या व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को परिदत्त या निविदत्त करके अथवा अधिसूचना

¹ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 8 द्वारा (20-4-1972 से) अन्तःस्थापित।

² 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 9 द्वारा (20-4-1972 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।

की एक प्रति उस परिसर के, जिसमें ऐसे स्वामी या व्यक्ति का अन्तिम बार निवास किया जाना अथवा कारबार चलाना अथवा अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, बाहरी द्वार पर अथवा सहजदृश्य किसी भाग पर लगाकर; अथवा इन साधनों द्वारा तामील करने में असफल रहने की दशा में,

(iii) डाक द्वारा,

तामिल की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश का अनुपालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकर होगा।

9ख. प्रतिकर का संदाय—(1) यदि धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाएगा। प्रतिकर की रकम, इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित रीति से और सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां प्रतिकर की रकम सहमति से नियत की जा सकती हो, वहां वह ऐसी सहमति के अनुसार संदत्त की जाएगी;

(ख) जहां ऐसी सहमति न हो सके, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा इस रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकेगी;

(ग) किसी विशिष्ट मामले में, केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान की प्रकृति की बाबत विशेष ज्ञान हो, नामनिर्देशन कर सकेगी और जहां ऐसा नामनिर्देशन किया जाता है वहां प्रतिकर का हकदार व्यक्ति भी उसी प्रयोजनार्थ एक असेसर नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, केन्द्रीय सरकार और प्रतिकर का हकदार व्यक्ति यह कथन करेंगे कि उनकी अपनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है;

(ङ) विवाद की सुनवाई के पश्चात् मध्यस्थ प्रतिकर की रकम, जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो, अवधारित करते हुए पंचाट करेगा और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसे या जिन्हें ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, और पंचाट करते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का तथा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा—

(i) प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को उसके उपार्जनों में हुआ नुकसान;

(ii) यदि धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश के परिणामस्वरूप, ऐसी अधिसूचना के जारी होने के ठीक पश्चात् भूमि का बाजार मूल्य कम हो जाता है, तो ऐसे बाजार मूल्य में हुई कमी;

(iii) यदि किसी निदेश के अनुसरण में कोई भवन या संरचना तुड़वा दी गई हो या कोई वृक्ष कटवा दिया गया हो अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम कर दी गई हो तो ऐसे तुड़वाने, कटवाने या कम करने के परिणामस्वरूप प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को हुआ नुकसान तथा ऐसे तुड़वाने, कटवाने या कम करने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय;

(iv) यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को अपना निवास-स्थान या कारबार का स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़े तो वह युक्तियुक्त व्यय जो उसे ऐसे परिवर्तन के कारण उपगत करना पड़े ;

(च) यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों की बाबत कोई विवाद है तो मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं तो वह प्रतिकर की रकम को ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करेगा;

(छ) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन मध्यस्थ द्वारा किए गए प्रत्येक पंचाट में, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में उपगत खर्च की रकम, और खर्च किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में संदत्त किए जाएंगे यह भी, कथित होगा।

9ग. प्रतिकर की बाबत पंचाटों की अपीलें—कोई व्यक्ति जो मध्यस्थ द्वारा धारा 9ख के अधीन किए गए पंचाट से व्यथित है ऐसे पंचाट की तारीख से तीस दिन के भीतर उस उच्च न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता में विमानक्षेत्र स्थित हो, अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल नहीं कर सका था तो वह उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

9घ. मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियां होंगी—धारा 9ख के अधीन नियुक्त मध्यस्थ को, इस अधिनियम के अधीन माध्यस्थ कार्यवाहियां करते समय, निम्नलिखित विषयों की बाबत, वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात् :—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;
- (ङ) साक्षियों की परीक्षाके लिए कमीशन निकालना ।]

10. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कार्य की शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ठ) के अधीन बनाए गए, वायुयान में आयुध, विस्फोटक या अन्य संकटकारी माल के वहन का विनियमन या प्रतिषेध करने वाले किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या जब उस खण्ड के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे मामले के बारे में सूचना देने की अपेक्षा की जाए ऐसी सूचना देगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और यदि वह स्वामी नहीं है तो स्वामी भी (यदि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है) कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और 2[जुर्माने का भी जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा] दायी होगा ।

³[(1क) यदि कोई व्यक्ति विमानक्षेत्र निर्देश बिंदु से दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर पशुओं का वध करने और खाल उतारने का तथा कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक वस्तुएं डालने का प्रतिषेध करने वाले, धारा 5 की उपधारा (2) के 4[खंड (थथ)] के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह 2[कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो 5[एक करोड़ रुपए] तक का हो सकेगा,] या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(1ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अपराध संज्ञेय होगा ।]

(2) धारा 5 के अधीन कोई नियम बनाने में या 2[धारा 4, धारा 7] धारा 8, धारा 8क या धारा 8ख के अधीन नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग 2[कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 5[एक करोड़ रुपए] तक का हो सकेगा,] या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

10क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 8क या धारा 8ख के अधीन किसी नियम को बनाने में किसी ऐसे नियम के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी, जिसके ऐसे उल्लंघन के लिए अधिनियम या तद्द्वारा बनाए गए नियमों में अन्यत्र किसी अन्य दंड का उपबन्ध नहीं है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों को ऐसी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उस क्रम में उनकी अधिकारिता भी विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) जहां ऐसे पदाभिहित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा उल्लंघन की प्रकृति का, नियमों के ऐसे उपबन्ध का, जिसका उल्लंघन किया गया है और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारणों का कथन करते हुए ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु पदाभिहित अधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपील अधिकारी को, जिसको उस मामले में अधिकारिता है और जो ऐसा आदेश पारित करने वाले पदाभिहित अधिकारी से ठीक उच्चतर श्रेणी का अधिकारी है, अपील कर सकेगा ।

¹ 1960 के अधिनियम सं० 44 की धारा 4 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 1988 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

⁴ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा “खंड (थथ)” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको पदाभिहित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप और रीति में फाइल की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस भी संलग्न की जाएगी, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।

(7) अपील अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और वह ऐसे आदेशों की, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उन्हें उपांतरित कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा।

10ख. अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या अनुमोदन का रद्द किया जाना—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को, ऐसी रीति में, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।]

11. संकटकारी उद्धान के लिए शास्ति—जो कोई किसी वायुयान को जानबूझकर ऐसी रीति से उड़ाएगा जिससे जल या थल या वायु में किसी व्यक्ति या किसी सम्पत्ति को संकट कारित हो, वह ¹[कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ²[एक करोड़ रुपए] तक का हो सकेगा,] या दोनों से, दण्डनीय होगा।

³[**11क. धारा 5क के अधीन दिए गए निदेशों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति धारा 5क के अधीन दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में जानबूझकर चूक करेगा तो वह कारावास से, जिसकी कालावधि ⁴[दो वर्ष] तक की हो सकेगी अथवा ⁵[जुर्माने से, जो ⁶[एक करोड़ रुपए] तक का हो सकेगा,] अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

11ख. धारा 9क के अधीन दिए गए निदेशों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9क के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश के अनुपालन में जानबूझकर चूक करेगा तो वह ⁷[कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ⁸[एक करोड़ रुपए] तक का हो सकेगा,] अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में के किसी निदेश के अनुसरण में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि में, किसी भवन या संरचना को तुड़वाने में या किसी वृक्ष को कटवाने में अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने में, चूक करेगा तो, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने या ऐसे वृक्ष को कटवाने अथवा ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने के लिए सक्षम होगा।]

⁹[परन्तु इस उपधारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति, धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी।]

12. अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयतित अपराधों के लिए शास्ति—जो कोई इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई काम करेगा वह अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड का दायी होगा।

¹⁰[**12क. अपराधों का शमन** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 10, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख और धारा 12 या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा ऐसी रीति में, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए या तो अभियोजन संस्थित करने से पहले या उसके पश्चात्, शमन किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या उसके पश्चात् वैसे ही अपराध करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किए जाने वाले अपराध, जिसका पूर्वतर शमन किया गया था या जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को पूर्वतर दोषसिद्ध किया गया था, को लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी केंद्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अपराध के शमन की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(4) अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में होगा, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।

¹ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 11 द्वारा (20-4-1972 से) अन्तःस्थापित।

⁴ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 2000 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 9 द्वारा “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁸ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 10 द्वारा “दस लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁹ 2007 के अधिनियम सं० 44 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

¹⁰ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

(5) जहां किसी अपराध का, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले शमन किया जाता है, वहां ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा शमन उस न्यायालय की, जिसमें अभियोजन लंबित है उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित में अवेक्षा में लाया जाएगा और इस प्रकार अपराध के शमन की ऐसी अवेक्षा पर, उस व्यक्ति को, जिसके अपराध का शमन किया गया है, उन्मुक्त किया जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन अपराध के शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा जिसके अपराध का शमन किया गया है।

(8) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का इस धारा में उपबंधित के सिवाय शमन नहीं किया जाएगा।

12ख. अपराधों का संज्ञान—(1) कोई न्यायालय, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा या उसकी पूर्व लिखित अनुमति से किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद, उस तारीख से जिसको अपराध, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक की जानकारी में आया है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।

13. न्यायालय की समपहरण का आदेश देने के शक्ति—¹[जहां कोई व्यक्ति धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है] वहां वह न्यायालय जिसके द्वारा वह सिद्धदोष ठहराया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, वायुयान या वस्तु या पदार्थ, जिसकी बाबत अपराध किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगा।

²**14. नियमों का प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाना—**इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकेगी।

³**14क. नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—**इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. उन वायुयानों पर जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं पेटेन्टकृत आविष्कार का उपयोग—भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) की धारा 42 के उपबन्ध किसी वायुयान पर, जो 4[भारत] में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रयुक्त आविष्कार उसी रीति से लागू होंगे जैसे वे विदेशी यान में प्रयुक्त आविष्कार को लागू होते हैं।

16. [सीमाशुल्क लागू करने की शक्ति] सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 और अनुसूची द्वारा (1-2-1963 से) निरसित।

17. कतिपय वादों का वर्जन—किसी भी सिविल न्यायालय में अतिचार या न्यूसेन्स की बाबत कोई वाद किसी वायुयान की किसी सम्पत्ति के ऊपर भूमि से इतनी ऊंचाई के उड़ान के ही आधार पर, जो वायु, मौसम और मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए युक्तियुक्त है, या केवल ऐसी उड़ान से होने वाली सामान्य घटना के आधार पर नहीं लाया जाएगा।

18. अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

¹1960 के अधिनियम सं० 44 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

²1985 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (16-10-1985 से) धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³1960 के अधिनियम सं० 44 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 14क, 1983 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴1948 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

19. इस अधिनियम के लागू होने की व्यावृत्ति—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या ¹[धारा 8क या धारा 8ख के अधीन बनाए गए नियम से भिन्न, किसी] नियम की कोई बात ²[संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना] ³[या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित संघ के अन्य सशस्त्र बल] के स्वामित्व में या के द्वारा अनन्यतः नियोजित वायुयान को या की बाबत अथवा ऐसे वायुयान के संबंध में नियोजित ऐसे बलों के किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी।

[परंतु संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना के वायुयानों से भिन्न संघ के किसी सशस्त्र बल का कोई वायुयान, जिसके लिए वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख को इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू हैं, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उस तारीख तक शासित होता रहेगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या नियम की कोई बात किसी भी प्रकाशस्तम्भ को जिसे भारतीय प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) लागू होता है, लागू नहीं होगी अथवा उस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य किसी अधिकार अथवा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव या असर नहीं डालेगी।

20. [निरसित।]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

¹ 1972 के अधिनियम सं० 12 की धारा 12 द्वारा (20-4-1972 से) अंतःस्थापित।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मजेस्टीज की नौसेना, सेना या वायुसेना” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2020 के अधिनियम सं० 13 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।